क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

वित्तीय वर्ष 2012–13

कार्यक्रम का नामः – Construction of ICU building.

बजट/एफ०एम०आर० शीर्षः– Construction of ICU building.

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्याः – B: 5.6.b

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकत्तम): – 22 जिलों में आई0सी0यू0 का भवन निर्माण स्वीकृत हुआ था। 18 जिलों में भवन निर्मित है। शेष चार जिलों यथा औरंगाबाद, बेगुसराय, मुंगेर एवं नवादा में निर्माण कार्य अधूरा है। औरंगाबाद द्वारा **रू0–15,00,000/–** की मांग की गयी हैं परन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलन नही दिया गया है। बेगुसराय के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा रू0–51,34,900/– का पत्रांक–1442(10), दिनांक–28.03.2012 द्वारा देते हुए गत वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त राशि **रू0–17,23,900/–** विमुक्त किया गया था परन्तु राशि विभाग को मार्च के अन्त में वापस कर दिया गया था। मुंगेर जिला में भवन निर्माण नही हुआ था परन्तु पूर्व की राशि रू0–34,11,000/– वहां उपलब्ध बताया गया है। नये भवन का पुनरीक्षित तकनिकी अनुमोदन भवन निर्माण विभाग द्वारा रू0–68,00,000/– का पत्रांक–7979, दिनांक–29.08.2011 द्वारा दियिा गया है। इसके अनुसार शेष **राशि 33,89,000/–** (68,00,000 – 34,11,000) दिया जाना है। नवादा जिला में भवन निर्माण पूर्ण है सिर्फ बिजली का बायरिंग किया जाना बताया गया है। वहां से राशि की मांग नही की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में औरंगाबाद को रू0–15,00,000/–, बेगुसराय को रू0–17,23,900/– तथा मुंगेर जिला को रू0–33,89,000/– विमुक्त किया जा रहा है।

इकाई राशि (रू० में) :– औरंगाबाद को रू0–15,00,000/–, बेगुसराय को रू0–17,23,900/– तथा मुंगेर जिला को रू0–33,89,000/–

वित्तीय दिशा निर्देश : –जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति इनका निर्माण "स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन" (Local Area Engineering Organisation) से करा सकते है। अगर किसी जिला में यह संगठन कार्यरत नही हो तो वे किसी भी अभियंत्रण संगठन से भवन निर्माण कार्य करा सकते है। चयनित विभाग/निगम/संगठन से विस्तृत तकनिकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार वे प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते है। निर्माण कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कराया जाना चाहिए। निर्माण कार्य में सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, वित्तीय दिशा निर्देशन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नामः– श्री आर0 बी0 पी0 यादव, भ0प्र0से0 (से0नि0)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : – 9470003009 /0612–3263162

S Kumar